निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 598/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

करणी सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, जाति राजपूत, निवासी डालनिया तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

पीठासीन अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फागी, जिला जयपुर।

उम्मेद सिंह पुत्र हेम सिंह जाति राजपूत, निवासी डालनिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

पंजीयक/उप पंजीयक कार्यालय फागी, जिला जयपुर।

तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध सहायक कलक्टर फागी, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 44/2025 ब–उनवानी करणी सिंह बनाम उम्मेद सिंह व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

1. श्री गोपाल सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अमन चैन सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09.02.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फागी, जिला जयपुर के समक्ष वाद संख्या 44/2025 ब–उनवानी करणी सिंह बनाम उम्मेद सिंह व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फागी, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, जो कि अप्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री अमन चैन सिंह, अधिवक्ता ने वकातलनामा प्रस्तुत किया है।
3. बहस एकपक्षीय सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या 2 पर अभी तक वाद के नोटिसों की सम्यक तामील तक नहीं हुई है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय वाद में जल्दी जल्दी तारीख पेशियां देकर उक्त वाद को निरस्तारित करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना प्राकृतिक/नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर आदेश पारित करना चाहते है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण के अप्रार्थी संख्या की अच्छी राजनैतिक पहुंच है तथा दिनांक 14.08.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 2 को सीधे तौर पर कहा कि वह प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद में स्थगन बरकरार नही रखेगे, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में कर रखा है तथा जल्दी–जल्दी पेशियां लेकर कोई कार्यवाही नही कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 कोर्ट में आकर वादी को धमकी देते है कि जल्दी ही तेरा स्टे खत्म करवा देंगे। वादी वादग्रस्त आराजीयात का हिस्सेदार काश्तकार है तथा वादी प्रार्थी का निरंतर कब्जा काश्त वादग्रस्त भूमि पर चला आ रहा है। यदि प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित कर सुनवाई नहीं की गई, तो प्रार्थी वादी के विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा तथा प्रार्थी वादी पूर्ण न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा नहीं रही है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील दी कि वादी प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश नहीं किया है, बल्कि घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 2 की पीठासीन अधिकारी से कोई जान पहचान नहीं है और ना ही अपने प्रभाव में ले रखा है। प्रार्थी द्वारा इस तरह के कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर फागी, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner